बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–सं0सं0–अंडी रे0 विकास–01/18 1397 पटना, दिनांक– 28.03.18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बेगुसराय जिले में अंडी रेशम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वन के लिए कुल राशि रू0 70,70,000/– (सत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में बेगूसराय जिले में अंडी रेशम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कुल राशि रू0 70,70,000/– (सत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है। कार्यक्रमवार विवरणी निम्नवत है :–

(राशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल लागत	राज्य योजना से स्वीकृत राशि
1	एक एकड़ में अंडी की खेती वाले कृषकों को कीटपालन उपस्कर की आपूर्ति (75:25) इकाई एकड़	80	12500	10.00	7.50
2	कीटपालन गृह निर्माण के लिए सहायता (75:25)	80	100000	80.00	60.00
3	प्रशिक्षण (100%)	80	3500	2.80	2.80
4	अध्ययन भ्रमण (100%)	16	2500	0.40	0.40
				93.20	**70.70**

(कुल रू0 सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 70,70,000/– (सत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष– 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–23-2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध प्राप्त है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर के द्वारा मुजफ्फरपुर कोषागार से एकमुश्त अग्रिम के रूप में की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) मुजफ्फरपुर के द्वारा अण्डी रेशम फार्म, बेगूसराय के माध्यम से किया जायगा। लाभुक चयन/उपस्कर क्रय के लिए दर निर्धारण का कार्य एवं योजना का अनुश्रवण महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पटना के एक प्रतिनिधि भी होंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या– अंडी रे0 विकास–01/18 के पृष्ठ 04/टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. अंडी रे0 विकास–01/18कृ0 1397 *पटना, दिनांक*–28.03.18

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी सहित कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. अंडी रे0 विकास–01/18कृ0 1397 *पटना, दिनांक*–28.03.18

प्रतिलिपि– व्यय विवरणी सहित महप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. अंडी रे0 विकास–01/18कृ0 1397 *पटना, दिनांक*–28.03.18

प्रतिलिपि–व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।